

न्यायालय Additional District and Sessions Judge, Court No-
4/Special Judge, E.C.Act, Lucknow

UPLK010017012023



Final Report/520/2023

STATE OF U.P.

Vs.

SULTANA

अपराध संख्या-5705/2020,
धारा-135 विद्युत अधिनियम,
थाना ए0पी0टी0, लखनऊ

दिनांक 09-12-2023

निस्तारण अन्तिम आख्या

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अंतिम आख्या पर सुना गया तथा पत्रावली एवं समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त धारा-135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण शमनित हो जाने के कारण अपनी अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है। चूंकि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार अभियुक्त द्वारा समस्त बिजली बिल कर निर्धारण धनराशि एवं शमन शुल्क को जमा कर दिया गया है, इसलिए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

राज्य बनाम सुल्ताना में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पुष्कर उपाध्याय)
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश-4, लखनऊ।
आई0डी0 नं0-यूपी-6086